प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–21.08.2024 को विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप की स्थिति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक–21.08.2024 को हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूपों की स्थिति की समीक्षा विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से की गई, जिसमें सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण, सभी कार्यपालक अभियंता इत्यादि ने भाग लिया। योजनावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए–

1. <u>हर खेत तक सिंचाई का पानी (सतही योजनाएं)</u> -

1.1 विभिन्न जिलों में इस योजनांतर्गत अब कुल 77 योजनाओं के डी०पी०आर० का निर्माण होना शेष है। कार्यपालक अभियंता, जमुई द्वारा बताया गया कि 10 योजनाओं का डी०पी०आर० शेष बचा हुआ है, जिसका निर्माण दिनांक–27.08.2024 तक कर लिया जाएगा। गया जिले में चेकडैम की 6 योजनाओं का डी०पी०आर० शेष है, जिसके संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा कहा गया कि आज ही इन योजनाओं के डी०पी०आर० का कार्य पूरा कर TAC हेतु भेज दिया जाएगा।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई एवं गया)

1.2 भागलपुर जिले में चेकडैम की 10 योजनाओं के डी०पी०आर० का निर्माण शेष बचा है। कार्यपालक अभियंता, भागलपुर द्वारा बताया गया कि 6 योजनाओं का डी०पी०आर० अधीक्षण अभियंता को भेजे गए हैं तथा शेष 4 योजनाओं के डी०पी०आर० निर्माण का कार्य इस सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर)

1.3 इस योजनांतर्गत मधुबनी जिला में 12 योजनाओं के डी०पी०आर० का निर्माण शेष है। अधीक्षण अभियंता, दरभंगा अंचल द्वारा बताया गया कि संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया है। त्रिशला नदी के कुछ स्थानों पर आहर–पईन की योजना feasible प्रतीत नहीं होता है। एक स्थान पर आहर–पईन की योजना लिया जा सकता है। इन्हें निदेश दिया गया कि विस्तृत प्रतिवेदन के साथ अगले सप्ताह दिनांक–27.08.2024 को विभाग में सचिव महोदय के सम्मुख आकर उन्हें अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं।

(अनुपालन–अधी० अभियंता, दरभंगा अंचल/कार्यपालक अभि०, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी)

1.4 लखीसराय जिला में इस योजनांतर्गत चेकडैम की 2 योजनाओं का डी०पी०आर० निर्माण शेष है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसके बदले मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत योजना ली जा सकती है। बांका जिला में 20 योजनाओं का डी०पी०आर० का निर्माण शेष है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, बांका द्वारा बताया गया कि डी०पी०आर० का निर्माण हो चुका है, जिसे आज ही अधीक्षण अभियंता को TAC हेतु भेज दिया जाएगा।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय एवं बांका)

1.5 संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि इस योजनांतर्गत शेष बचे योजनाओं का डी०पी०आर० TAC से समीक्षा कराकर अगले सप्ताह अनिवार्य से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

1.6 हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक 980 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें से कई योजनाएं अपूर्ण हैं और इनमें कार्य चल रहा है। नालंदा जिले में 27 योजनाओं में से 13 योजनाओं में ही कार्य पूर्ण हुआ है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 2 योजनाओं का कार्यस्थल वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित है तथा 2 योजनाओं के संवेदकों का आपसी dispute होने के कारण इनमें re-tender किए जाने की आवश्यकता है।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, सभी लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा)

1.7 वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक जहानाबाद जिले में कुल 31 योजनाओं में 11 योजनाएं ही पूर्ण हैं तथा 20 योजनाएं अपूर्ण हैं। नवादा जिले में 71 योजनाओं में से 30 योजनाएं पूर्ण तथा 41 योजनाएं अपूर्ण हैं। मधुबनी जिला में वर्ष 2022–23 में कुल 12 स्वीकृत योजनाओं में से 2 योजना ही पूर्ण हैं तथा 10 योजनाएं अपूर्ण हैं। बांका जिला में वर्ष 2022–23 में कुल 32 स्वीकृत योजनाओं में से 22 योजनाएं अपूर्ण हैं। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, बांका द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022–23 की 23 योजनाएं तथा वर्ष 2023–24 की 81 योजनाओं में से 43 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। कार्यपालक अभियंता, बांका को निदेश दिया गया कि योजना की कार्य पूर्णता से संबंधित प्रतिवेदन पोर्टल पर अद्यतन किया जाए, ताकि योजनाएं पूर्ण प्रतिवेदित हो सके।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद, नवादा, मधुबनी एवं बांका)

1.8 वर्ष 2022–23 में जमुई जिले में स्वीकृत 66 में से 14 योजनाएं अपूर्ण तथा वर्ष 2023–24 की 70 योजनाओं में से 61 योजनाएं अपूर्ण हैं। कार्यपालक अभियंता, जमुई द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022–23 की अपूर्ण 14 योजनाओं में से 9 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है,

जिसे पोर्टल पर अद्यतन किया जाना है तथा वर्ष 2023–24 की योजनाओं में से 11 योजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है एवं 7 योजनाओं में परिवाद प्राप्त है, जिसके निष्पादन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई)

1.9 सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक स्वीकृत योजनाओं में से पूर्ण योजनाओं की कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन पोर्टल पर अद्यतन किया जाए, ताकि पूर्ण योजनाओं की संख्या में वृद्धि हो सके। साथ ही निदेश दिया गया कि इस योजना अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकृत एवं अपूर्ण सभी योजनाओं का कार्य दिसम्बर, 2024 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर अद्यतन किया जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

2. <u>मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना</u> -

2.1 मधुबनी जिले में इस योजनांतर्गत 1.39 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 10.75 प्रतिशत, प० चंपारण में 1.53 प्रतिशत, सुपौल में शून्य प्रतिशत एवं सिवान में 15.83 प्रतिशत ही किसानों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिन आवेदकों का एल०पी०सी० एवं जाति प्रमाण पत्र बन चुका है, उनके आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

2.2 सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजनांतर्गत जिन किसानों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें से जो किसान अब योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक नहीं हैं, वैसे किसानों को शीघ्र नोटिस निर्गत किया जाए कि 7 दिनों के अंदर घोषणा पत्र समर्पित करें अन्यथा उसके पश्चात उनका दावा अमान्य कर दिया जाएगा। इस माह के अंत तक वैसे आवेदकों का आवेदन रद्द करने की कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

2.3 कार्यपालक अभियंता, बांका द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि इस योजनांतर्गत बांका जिले में कई आवेदक महिलाएं झारखंड राज्य के पैतृक निवासी हैं, जिनका विवाह बिहार राज्य में हुआ है। इनका जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य का है, किन्तु इन महिलाओं के नाम से बिहार राज्य में जमीन है और एल०पी०सी० इन महिलाओं के नाम पर है। ऐसे महिलाओं के अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने के कारण पोर्टल पर प्रतिवेदन अपलोड नहीं हो पा रहा है। इन्हें निदेश दिया गया कि इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजें, ताकि विभाग द्वारा अग्रेतर मार्गदर्शन दिया जा सके।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका)

3. <u>राजकीय नलकूप</u>–

3.1 हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत 21 जिलों के सर्वेक्षित 589 राजकीय नलकूपों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रतिवेदित हुआ कि वर्तमान में 328 राजकीय नलकूप चालू स्थिति (functional) में हैं तथा शेष 261 नलकूप विद्युत दोष/संयुक्त दोष के कारण बंद हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को यह अवगत कराया गया कि विद्युत संबद्धता के कारण जो नलकूप बंद हैं, उनमें ट्रांसफर्मर से नलकूप तक विद्युत पहुँचाने का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जाएगी तथा इस पर होने वाले व्यय की राशि संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को लघु जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। निदेश दिया गया कि विद्युत संबद्धता के कारण बंद पड़े नलकूपों को उक्त आलोक में प्राथमिकता के आधार पर चालू कराने हेतु संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन– SBPDCL/ NBPDCL/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.2 प्रभारी नलकूप कोषांग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में 132 नलकूपों की मरम्मती हेतु संबंधित प्रमंडलों को राशि आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा मोतिहारी–19 नलकूप, सारण–25 नलकूप, सहरसा–6 नलकूप, मधुबनी–9 नलकूप, बेतिया–3 नलकूप एवं सीतामढ़ी–8 नलकूप की मरम्मती हेतु राशि की अधियाचना जिलों से प्राप्त है, जिसकी राशि आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिन नलकूपों के लिए राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, उसे शीघ्र functional किया जाए। प्रभारी नलकूप कोषांग इस हेतु संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चत करेंगे।

(अनुपालन–प्रभारी नलकूप कोषांग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

3.3 प्रभारी नलकूप कोषांग को निदेश दिया गया कि अगली समीक्षा बैठकों में सर्वेक्षित 589 में से प्रत्येक नलकूप की स्थिति तथा मरम्मती हेतु राशि विमुक्ति से संबंधित प्रतिवेदन भी संकलित रखा जाए।

(अनुपालन–प्रभारी नलकूप कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग)

4. <u>अन्यान्य</u>–

4.1 पिछली बैठक में इससे अवगत कराया गया था कि योजनाओं की संख्या/प्राक्कलित राशि के अनुसार समेकित रूप से जिलों को राशि आवंटित करने हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिससे योजनाओं में नियमानुसार M.B. इत्यादि प्रक्रिया पूर्ण कर संवेदकों को भुगतान की कार्रवाई संबंधित अभियंताओं द्वारा की जाए। इस संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में स्वीकृत

योजनाओं के लिए राशि की अधियाचना तीन दिनों के अंदर विभाग को भेजा जाए, ताकि इन योजनाओं के विरूद्ध भी समेकित रूप से राशि आवंटन की कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

4.2 सभी अभियंताओं को इससे अवगत कराया गया कि निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) का मॉडल प्रारूप विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे सभी लघु सिंचाई प्रमंडलों को मंतव्य हेतु भेजा जाएगा। निदेश दिया गया कि मॉडल प्रारूप पर तीन दिनों के अंदर मंतव्य से विभाग को अवगत कराया जाए।

(अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

4.3 कार्यपालक अभियंता, बांका, शेखपुरा एवं जमुई द्वारा प्रमंडल के कार्यों हेतु सहायक अभियंता के उपयोग के लिए वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इन्हें निदेश दिया गया कि इस संबंध में अनुरोध पत्र विभाग को भेजें।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका, शेखपुरा एवं जमुई)

4.4 कार्यपालक अभियंता, शिवहर द्वारा बताया गया कि कार्यालय भवन की मरम्मती हेतु प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति नहीं हो पाई है। अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण को निदेश दिया गया कि इस संबंध में शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाए। **(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग)**

4.5 दिनांक–28.08.2024 को ज्ञान भवन, पटना में विभागीय समीक्षात्मक बैठक–सह–कार्यशाला आयोजित करायी जाएगी, जिसमें भाग लेने हेतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रमंडल में कार्यरत 01 कनीय अभियंता को बुलाया जाएगा। उक्त बैठक–सह–कार्यशाला में भाग लेने के लिए लघु जल संसाधन विभाग में पंजीकृत संवेदकों को प्रशिक्षण देने हेतु उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। संवेदकों द्वारा भाग लिए जाने से संबंधित सूचना सिंचाई प्रमंडलों के माध्यम से संबंधित संवेदकों को दी जाएगी तथा विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में इससे संबंधित विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाएगा। अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण को निदेश दिया गया कि इस संबंध में शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

संतोष 27/8/24

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार

ज्ञापांक– 1161 (मो०) / ल०ज०सं०वि० / पटना, दिनांक– 22.8.2024

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० / सभी जिला पदाधिकारी / सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (योजना+अनु०+भू०) / सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/24

अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– 1161 (मो०) / ल०ज०सं०वि० / पटना, दिनांक– 22.8.2024

प्रतिलिपि–सचिव / विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / संबंधित विभागीय पदाधिकारी / अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण / अधीक्षण अभियंता (योजना+स्थापना) / प्रभारी नलकूप कोषांग / आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/24

अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– 1161 (मो०) / ल०ज०सं०वि० / पटना, दिनांक– 22.8.2024

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/24

अधीक्षण अभियंता (मु०) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग